मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 44 / 2025

गुरदीप सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख साकिन दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादी

बनाम

1. जगजीत सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख साकिन दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. आरएमजीबी बैंक शाखा दुलमाना जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन

निर्णय दिनांक :– 09/04/2025

वादी की ओर से श्री राजेन्द्र पटीर अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 की ओर श्री ठाकर राम अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है:–

वादी प्रथम पक्ष स.1 को प्राप्त भूमि–तहसील पीलीबंगा के चक 8 पीबीएन के खाता सं. 24/63 के प.नं. 45/299 (52) किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7 की 1.771 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी।तहसील पीलीबंगा के चक 8 पीबीएन के खाता सं. 23/22 के प.नं. 47/298 (46) किला नं. 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 25/1, 25/2 की 1.265 हैक., प.नं. 48/297 (37) किला नं. 19 ता 22 की 1.012 हैक., प.नं. 48/298 (47) किला नं. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 16/3 की 3.909 हैक., प.नं. 49/298 (48) किला नं. 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2 की 0.897 हैक. इस प्रकार कुल 7.083 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी ।

प्रतिवादी द्वितीय पक्ष सं. 1 को प्राप्त भूमि –तहसील पीलीबंगा के चक 7 पीबीएन के खाता सं. 9/11 के प.नं. 49/298 (16) किला नं. 4, 5/1, 6 ता 8, 12 ता 16, 17/1 की 2.354 हैक. नहरी खातेदारी।तहसील पीलीबंगा के चक 8 पीबीएन के खाता सं. 23/22 के प. नं. 49/296 (33) किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 की 1.2[illegible] प.नं. 50/296 (34) किला नं. 1 ता 14, 18 ता 23 की 4.479 हैक., प.नं. 50/297 [illegible] किला नं. 1, 2, 10 की 0.404 हैक. इस प्रकार कुल 6.148 हैक. नहरी मय [illegible] का काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्ता अनुसार खाता विभाजन किया जाता है। रकमराज अलग [illegible] की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:31:25 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 09/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:31:25 IST
Reason: SelfAttested